

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14- अंशोक मार्ग,
लखनऊ ।

संख्या : 531-वे0प्र0/राविप/98-3 वे0प्र0/98

दिनांक : 21, नवम्बर, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

परिषदादेश सं० 251-वे0प्र0-30/राविप/98-3वे0प्र0/98 दिनांक 6-8-98 के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद में कार्यरत अभियंता संवर्ग के समस्त अधिकारियों को दिनांक 1-1-96 से रु0450=00 रूपया चार पचास प्रतिमाह की दर से आवश्यक सेवा भत्ता प्रदान किये जाने की परिषद सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उपरोक्त आवश्यक सेवा भत्ते की स्वीकृति के फलस्वरूप आने वाले अवशेष का भुगतान परिषदादेश सं० 251-वे0प्र0/राविप/98-3वे0प्र0/98 दिनांक 6-8-98 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा ।

3- यह आदेश लेखा शाखा को सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं अतः इसके भुगतान हेतु अलग से प्राधिकृत पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है ।

परिषद की आज्ञा से,

सचिव

संख्या : 531-वे0प्र0/राविप-30/98-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा०ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव ।
2. मा०ऊर्जा राज्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव ।
3. सचिव, उ0प्र0 शासन, ऊर्जा विभाग, विधान भवन, लखनऊ ।
4. समस्त मुख्य अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
5. समस्त महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
6. समस्त महानिदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
7. समस्त नियंत्रक लेखा स्कंध, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
8. समस्त मुख्य लेखा अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
9. समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
10. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ।
11. परिषद सचिवालय के समस्त अनुभाग/शिपिर/निजी सचिव ।
12. बैंक सहायक को मद संख्या यौदह-221/98 के संदर्भ में । यौदह-221/98
13. उप महालेखाकार, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र नाथ मिश्र ।
अपर सचिव । प्रथम ।